न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 61 / 2021 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2021/64

अमरलाल मीणा पिता वेला मीणा निवासीः 227 / 6, आवरी माता कॉलोनी, सेन्ट्रल एरिया, उदयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

1. वेला पिता भेरा निवासीः गांव खजुरी, फला–केगरा, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. नानु पिता स्व. रतना मीणा निवासीः गांव खजुरी फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. मोहन मीणा पिता स्व. रतना मीणा निवासीः गांव खजुरी फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
4. मीठुलाल मीणा पिता स्व. रतना मीणा निवासीः गांव खजुरी फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
5. बंशीलाल मीणा पिता स्व. रतना मीणा निवासीः गांव खजुरी फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
6. गौतम मीणा पिता स्व. रतना मीणा निवासीः गांव खजुरी फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
7. श्रीमती केसरी पत्नी स्व. रतना मीणा निवासीः गांव खजुरी फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
8. श्रीमती मरती पुत्र स्व. भैरा मीणा निवासीः सैलाना, पोस्ट माकडादेव, तहसील झाडोल, उदयपुर
9. प्रेमसिंह पिता स्व. वेला मीणा निवासीः गांव खजुरी, फला–केगरा, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
10. हवजी मीणा पिता स्व. वेला मीणा निवासीः गांव खजुरी, फला–केगरा, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
11. देवजी मीणा पिता स्व. वेला मीणा निवासीः गांव खजुरी, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
12. श्रीमती मन्जु मीणा पुत्री स्व. वेला मीणा निवासीः गांव बारा बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
13. श्रीमती अन्दु मीणा पुत्र स्व. वेला मीणा निवासीः गांव बारा, फला–वली, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
14. कमजी पुत्र स्व. वेला मीणा निवासीः गांव खजुरी, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 61 / 21 अपील(राजस्व)
अमरलाल बनाम वेला
GCMS No. 2021/64

15.सोमा पुत्र स्व. वेला मीणा निवासीः गांव खजुरी, फला–केगरा, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
16.हरिश पुत्र स्व. वेला मीणा निवासीः गांव खजुरी, फला–केगरा, बारापाल, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
17.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

—— रेस्पोडेन्टस्

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बनाराजगी निर्णय उप तहंसीलदार बारापाल नामान्तरकरण संख्या 530 निर्णय दिनांक 11.09.1998

उपस्थित : श्री महेन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री विष्णुशंकर पालीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16

निर्णय

दिनांकः– 23/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार बारापाल नामान्तरकरण संख्या 530 निर्णय दिनांक 11.09.1998 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के बडे पापा भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 4477 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4479 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4480 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4481 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4482 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5839 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5848 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5859 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 5882 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 2.6300 हैक्टेयर राजस्व ग्राम खजुरी, पटवार क्षेत्रफल बारापाल तहसील गिर्वा उदयपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर भैरा पिता वेछा एवं उसका भाई वेला पिता वेछा कृषि कार्य करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा की मृत्यु दिनांक 05.02.1976 को हुई तत्पश्चात् उक्त भूमि पर वेला उवं उसके उत्तराधिकारी लगातार शान्तिपूर्ण तरीके से कृषि कार्य करते हुए भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा का वास्तविक सजरा निम्न है:–

जिला कलक्टर
उदयपुर

वेछा उर्फ वेसा

भैरा (ला औलाद फौत) — वेला

अमरलाल, प्रेमसिंह, हवजी, देवजी, मन्जू, अन्दू, राजूबाई (फौत), कमजी, सोमा, हरिश, अम्बावी (फौत)

भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा का स्वर्गवास दिनांक 05.02.1976 को हुआ परन्तु अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के पिता वेला एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 का कम पढ़ा लिखा होना एवं राजस्व मामलों में जानकार नहीं होने से अपने बडे पिताजी की भूमि मे नामांतरकरण नहीं खुलवा सके जिसका फायदा उठाते हुए एक अन्य भैरा पुत्र वेला के वारिसान द्वारा गलत जानकारी देते हुए भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा की भूमि में अपना नाम दर्ज करवा दिया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 भैरा पिता वेला के जायन्दा पुत्र है एवं इन्हीं के नाम भूमि दर्ज होनी थी, परन्तु एक ही नाम होने की वजह से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने फायदा उठाते हुए षडयंत्र करते हुए अपने नाम उक्त भूमि को दर्ज करवा दिया। नामांतरकरण संख्या 530 दिनांक 11.09.2018 अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के विरूद्ध होकर खारिज कराये जाने योग्य है क्योंकि भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा के असली वारिसानों की सही जांच कर नामांतरकरण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने मिलता–जुलता नाम होने का फायदा उठाते हुए अपने पक्ष में नामांतरकरण करवा लिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। ऐसे नामांतरकरण से अपीलाण्ट वं रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के हक की भूमि छिनने का कोई अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को नहीं हैं। दिनांक 06.08.2021 को उक्त नामांतरकरण का ज्ञान होने पर इस नामांतरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत कंडोन कराया जाना आवश्यकं है। अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बारापाल के निर्णय नामांतरकण संख्या 530 दिनांक 17.09.1998 को निरस्त कराया जावे एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के नाम पर विरासत से प्राप्त होने वाले हिस्से अनुसार नामांतरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जकार विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के बडे पापा भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा के खातेदारी की

जिला कलक्टर
उदयपुर

कृषि भूमि खसरा संख्या 4477 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4479 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4480 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4481 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4482 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5839 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5848 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5859 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 5882 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुत किता 10 रकबा 2.6300 हैक्टेयर राजस्व ग्राम खजुरी, पटवार क्षेत्रफल बारापाल तहसील गिर्वा उदयपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर भैरा पिता वेछा एवं उसका भाई वेला पिता वेछा कृषि कार्य करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा की मृत्यु दिनांक 05.02.1976 को हुई तत्पश्चात् उक्त भूमि पर वेला उवं उसके उत्तराधिकारी लगातार शान्तिपूर्ण तरीके से कृषि कार्य करते हुए भूमि का उपयोंग उपभोग करते चले आ रहे है।भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा का स्वर्गवास दिनांक 05.02.1976 को हुआ परन्तु अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के पिता वेला एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 का कम पढ़ा लिखा होना एवं राजस्व मामलों में जानकार नहीं होने से अपने बडे पिताजी की भूमि मे नामांतरकरण नहीं खुलवा सके जिसका फायदा उठाते हुए एक अन्य भैरा पुत्र वेला के वारिसान द्वारा गलत जानकारी देते हुए भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा की भूमि में अपना नाम दर्ज करवा दिंया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 भैरा पिता वेला के जायन्दा पुत्र है एवं इन्हीं के नाम भूमि दर्ज होनी थी, परन्तु एक ही नाम होने की वजह से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने फायदा उठाते हुए षडयंत्र करते हुए अपने नाम उक्त भूमि को दर्ज करवा दिया। नामांतरकरण संख्या 530 दिनांक 11.09.2018 अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के विरूद्ध होकर खारिज कराये जाने योग्य है क्योंकि भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा के असली वारिसानों की सही जांच कर नामांतरकरण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने मिलता–जुलता नाम होने का फायदा उठाते हुए अपने पक्ष में नामांतरकरण करवा लिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। ऐसे नामांतरकरण से अपीलाण्ट वं रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के हक की भूमि छिनने का कोई अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को नहीं हैं। दिनांक 06.08.2021 को उक्त नामांतरकरण का ज्ञान होने पर इस नामांतरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत कंडोन कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बारापाल के निर्णय नामांतरकण संख्या 530 दिनांक 17.09.1998 को निरस्त कराया जावे एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के नाम पर विरासत से प्राप्त होने वाले हिस्से अनुसार नामांतरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 61/21 अपील(राजस्व)
अमरलाल बनाम वेला
GCMS No. 2021/64

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 ने अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 का हक व हिस्सा है। भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा का स्वर्गवास दिनांक 05.02.1976 को हुआ परन्तु अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के पिता वेला के कम पढ़ा लिखा होने के कारण अपने बडे पिता भेरा पिता वेछा उर्फ वेसा की भूमि में नामांतरकरण नहीं खुलवा सकें जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 के अधिकार व आधिपत्य की भूमि अपने नाम षडयंत्र करते हुए दर्ज करवा दी, जिसका रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः अपील में वर्णित अनुतोष रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 को भी अपीलाण्ट के साथ प्रदत्त कराया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुसार वेछा उर्फ वेसा के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 4477 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4479 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4480 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4481 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4482 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5839 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5848 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5859 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 5882 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 2.6300 हैक्टेयर राजस्व ग्राम खजूरी, पटवार क्षेत्रफल बारापाल तहसील गिर्वा उदयपुर में स्थित है। वेछा उर्फ वेसा की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि पर भैरा पिता वेछा एवं उसका भाई वेला पिता वेछा कृषि कार्य करते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा की मृत्यु दिनांक 05.02.1976 को हुई तत्पश्चात् उक्त भूमि पर वेला उवं उसके उत्तराधिकारी लगातार शान्तिपूर्ण तरीके से कृषि कार्य करते हुए भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा लाऔलाद फौत होने से भेरा के हिस्से की भूमि वेला के वारिसों के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी किन्तु एक अन्य भैरा पुत्र वेला के वारिसान द्वारा गलत जानकारी देते हुए भैरा पिता वेछा उर्फ वेसा की भूमि में अपना नाम दर्ज करवा दिया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 9 से 16 वेला पिता वेछा उर्फ वेसा के जायन्दा पुत्र है एवं इन्हीं के नाम भूमि दर्ज होनी थी, परन्तु एक ही नाम होने की वजह से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने फायदा उठाते हुए षडयंत्र करते हुए अपने नाम उक्त भूमि को दर्ज करवा दिया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बारापाल की रिपोर्ट अनुसार **तत्कालीन समय में राजस्व ग्राम खजूरी में भेरा पिता वेछा नाम के दो व्यक्ति थे प्रथम भेरा पिता वेछा आराजी नम्बर 4477, 4479, 4481, 4482,5839, 5848, 5859 कुल किता 09 रकबा 2.6300 हे. पर क़ाबिज होकर काश्त कर रहा था। वह आगे चलकर लाऔलाद फौत हो गये तत्पश्चात उसकी मृत्यु उपरान्त वारिसानों मे उसके छोटे भाई वेला पिता**

जिला कलक्टर
उदयपुर

वेछा काश्त कर रहा था। दिनांक 13.08.88 को वेला पिता वेछा की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उनके वारिसानों मे कुल 07 पुत्र, 02 पुत्री व 02 पत्नी थी। वर्तमान में उक्त भूमि पर वर्तमान मे वारिसानों मे कुल 07 पुत्र, 02 पुत्री काश्त करते आ रहे है। पुत्रों में अमरलाल, प्रेमसिंह, हवजी, देवजी, हुरमा उर्फ सोमा, कमजी, हरीश पुत्र वेलां समस्त जाति मीणा, समस्त निवासी केगरा फला खजूरी व पुत्रियों मे मंजु पुत्री वेला पत्नी वीरजी जाति मीणा निवासी केगरा फला हाल ग्राम बांरा जिला उदयपुर एवं श्रीमती अन्दु पुत्री वेलाजी पत्नी लिम्बाराम जाति मीणा निवासी केगरा फला हाल ग्राम बारां काबिज होकर वर्तमान में काश्त करते चले आ रहे है। एक द्वितीयक भेरा पिता वेछा निवासी वली फला खजूरी था जो उक्त वर्णित आराजीयात से 1.5 किमी दूर निवासरत था जिसकी मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 11.09.1998 दर्ज हुआ जिसमें त्रुटिवश स्वयं की खातेदारी भूमि के साथ–साथ प्रथम भेरा पिता वेछा निवासी केगरा फला खजूरी के खाते मे भी विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हो गया जिस कारण द्वितीयक भेरा पिता वेछा के वारिसान 02 पुत्र रतना, वेला पिता भेरा जाति मीण निवासी वली फला खजूरी 02 पुत्री पिंज़ारी पुत्री भेरा जाति मीणा निवासी वली फला खजूरी उदयपरु (वर्तमान में फौत) हिरकी पत्नी स्व. भेरा निवासी वली फला खजूरी, श्रीमती मरती पुत्री भेरा पत्नी धरमा मीणा निवासी वली फला खजूरी हाल निवासी सेलाना झाडोल उदयपुर का नाम दर्ज रिकार्ड हो गया जो आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे है।" उपरोक्त विवेचन एव तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारगर्भित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार बारापाल का नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 11.09.1998 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बारापाल (तत्कालीन उपतहसीलदार बारापाल) को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वेछा उर्फ वेसा के विधिक वारिसानो की समुचित जांच कर सभी सम्बधितों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नये सिरे से नामांतरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बारापाल को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दपतर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर